UPGK010046842026

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।</u>

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1995/2026</u>

गब्बर उर्फ हेमन्त पुत्र स्व० हरीशचन्द्र, निवासी ग्राम- हाटा बुजुर्ग, हाटा, थाना- गगहा, जिला- गोरखपुर। .....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 143/2026

अंतर्गत धारा- 103(1), 3(5) B.N.S.

थाना- गगहा, जनपद-गोरखपुर।

<u>दिनांक- 02.06.2026</u>

आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 143/2026, अंतर्गत धारा- 103(1), 3(5) B.N.S., थाना- गगहा, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.04.2026 को शाम करीब 06.20 बजे वादी की भाभी खुशबू अपने छत पर स्थित रूम के सामने गैलरी में खड़ी थी कि तभी वादी के गांव के तिवारी टोला का सीताराम घर के बाहर के सीढ़ी से छत की गैलरी पर पहुंचकर वादी की भाभी को गाली गलौज व मार पीट करने लगा। शोर सुनकर वादी तथा उसका भांजा आर्यन कुमार छत पर पहुंचे तो देखा कि वह वादी की भाभी का बाल पकड़कर पीछे से गला रेतकर भाग गया। उसे पकड़ने की कोशिश की गयी परन्तु वह भागने में सफल रहा। भागते समय घर की अन्य महिलाए भी रोकने की कोशिश की लेकिन चाकू दिखाकर धक्का देकर भाग गया। वादी अपनी भाभी को आनन फानन में गगहा प्राइवेट अस्पताल पर ले गये जहां डाक्टर ने उन्हे मृत घोषित कर दिया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी एक सीधा सादा निर्दोष व्यक्ति है। प्रार्थी ने कोई जुर्म नहीं किया है, महज रंजिशन अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी का नाम, न तो वादी मुकदमा के (तहरीर) प्रार्थना पत्र में है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है। प्रार्थी के माता-पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है और पारिवारिक जिम्मेदारी स्वयं निर्वहन करता है। प्रार्थी ने कोई तथाकथित वाकिया नहीं किया है। प्रार्थी का नाम मुकामी पुलिस ने झूठे तौर पर सोची समझी साजिश के तहत डालकर दिनांक 07.05.2026 को

जेल अभिरक्षा में भेजवा दिया है। प्राथमिकी में इस बात का उल्लेख है कि सीताराम ने बाल पकड़कर पीछे से सूचक जितेन्द्र कुमार के भाभी का चाकू से गला रेतकर भाग गया। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा हत्या करने का कोई जिक्र प्राथमिकी में नहीं है। प्रार्थी को जेल अभिरक्षा में भेजते समय सी०जे०एम० के समक्ष जो सामान्य दैनिकी पेश की गयी है, उसमें भी अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने के सन्दर्भ में नहीं है। प्रार्थी ने कोई सामान्य आशय जैसा अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त के आधार पर आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की भाभी की गला रेतकर हत्या की गयी है, जो एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा की भाभी की चाकू से गला रेतकर हत्या करने का अभियोग है। केस डायरी में अंकित वादी मुकदमा के बयान के अनुसार जब सहअभियुक्त द्वारा वादी की छत पर जाकर उसकी भाभी की गला रेतकर हत्या करने पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल से मौके से सहअभियुक्त को लेकर भाग जाना बताया गया है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की श्वासनली, स्वरयंत्र और गर्दन की प्रमुख रक्त वाहिकाएं पूरी तरह से कटी और विकृत होना तथा उसकी मृत्यु का कारण उक्त चोट से हुए रक्त स्राव एवं सदमें से होना बताया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त गब्बर उर्फ हेमन्त द्वारा मु०अ०सं०- 143/2026, अंतर्गत धारा- 103(1), 3(5) B.N.S., थाना- गगहा, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक-02.06.2026</u>

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.02 15:23:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court